राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./ 355 दिनांक :- 22-7-2021

नोडल प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
एवं सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,
राजस्थान

विषयः- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/सम्पर्क पोर्टल से सम्बन्धित परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण बाबत।
संदर्भः- पत्रांक एफ4 (आकाशि)/पॉलिसी/नि.स./2020/294 दिनांक 22.10.2020 एवं क्रमांक 300 दिनांक 12.11.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं का नियमित रूप से त्वरित निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु परिवेदनाओं के लिए एल-1 (नोडल प्रचार्य स्तर) है तथा एल-2 (सहायक निदेशक स्तर) है। इस हेतु संदर्भित पत्र अनुसार तहसील स्तर पर जो नोडल प्राचार्य नामित है उन्हे सामान्य व निजी बी.एड. महाविद्यालयों से संबन्धित परिवेदनाओं का नियमानुसार ऑनलाइन निस्तारण करना है। इस हेतु निम्न तालिकानुसार कार्यवाही अपेक्षित है-

बी.एड. महाविद्यालय से सम्बन्धित परिवेदनाओं के संबंध में निर्देशः-		
	परिवेदनाएं	अग्रेषण/निस्तारण/हस्तान्तरण का स्तर
	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मान्यता सम्बन्धित परिवेदनाए WRC/NCTE, दिल्ली से सम्बन्धित होने के कारण आयुक्तालय स्तर (एल-3, संयुक्त निदेशक **(नि.सं.)**पर अग्रेषित करें।	एल-1 (प्राचार्य) स्तर
	इन्टर्नशिप से सम्बन्धित परिवेदनाएं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जयपुर को हस्तान्तरित करें।	एल-1 (प्राचार्य) स्तर
	बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड./सी.टी.ई. संस्थाओं से सम्बन्धित परिवेदनाएं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को हस्तान्तरित करें।	एल-1 (प्राचार्य) स्तर
	बी.एड. कालेज आवंटन/ महाविद्यालय हस्तान्तरण एवं फीस संबंधी परिवेदनाएं उस वर्ष में पीटीईटी आयोजित करवाने वाले समन्वयक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को हस्तान्तरित करें।	एल-1 (प्राचार्य) स्तर
	परीक्षा से सम्बन्धित परिवेदनाएं/शैक्षणिक स्टाफ सम्बन्धित विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करें।	एल-1 (प्राचार्य) स्तर
	अवैध वसूली, दुर्व्यवहार, दस्तावेज नहीं लौटाने संबंधी परिवेदनाएं आयुक्तालय स्तर पर अग्रेषित न करें।	एल-1(प्राचार्य) स्तर पर जांच का कार्य **नियमानुसार** किया जावेगा जिसमें एल-2 (सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय)एल-1 (प्राचार्य) को सहयोग करें।
7	केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सम्बन्धित समस्त परिवेदनाएं आयुक्तालय स्तर (एल-3, संयुक्त निदेशक (नि.सं.)पर अग्रेषित करें।	एल-1 (प्राचार्य) स्तर
निजी महाविद्यालयों से सम्बन्धित परिवेदनाओं के सम्बन्ध में निर्देशः-		
	सामान्य परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा से सम्बन्धित परिवेदनाएं सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को हस्तान्तरित करें।	एल-1(प्राचार्य) स्तर
	विभिन्न प्रकार के शुल्क के नाम पर अवैध वसूली, कॉलेज स्थानान्तरण सम्बन्धी परिवेदनाएं एवं निजी महाविद्यालय के स्टाफ सम्बन्धित परिवेदनाएं आयुक्तालय स्तर पर अग्रेषित न करें।	एल-1 (प्राचार्य) स्तर पर जांच का कार्य **नियमानुसार** किया जावेगा जिसमें एल-2 (सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय) एल-1 (प्राचार्य) को सहयोग करें।
	केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सम्बन्धित समस्त परिवेदनाएं आयुक्तालय स्तर (एल-3, संयुक्त निदेशक (नि.सं.)पर अग्रेषित करें।	एल-1 स्तर

निजी संस्थाओं से सम्बन्धित परिवेदनाओं के संदर्भ में एल-1 (प्राचार्य) स्तर को पुनः निर्देशित किया जाता है कि केवल यह लिखकर उसे उच्चस्तर पर अग्रेषित नही करें " कि यह नोडल महाविद्यालय से सम्बन्धित नही है" या " उच्च स्तर पर ही निस्तारण योग्य है" सभी शिकायतो को नियमानुसार संबंधित निजी महाविद्यालय से परिवेदना का प्रत्युत्तर प्राप्त कर अविलंब नियमानुसार निस्तारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निर्देशक (प्रशासन) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को यू.ओ.नोट क्रमांक 5713 दिनांक 02.07.2021 के क्रम में।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर